

दिनांक 13.02.2026 को जिलाधिकारी महाराजगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन-हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्त:-

दिनांक 13.02.2026 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो की समीक्षा की गई। बैठक में परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड महाराजगंज, सहायक अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) जल निगम(ग्रामीण) गोरखपुर, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट इंजीनियर मेसर्स रिथविक-कोया (जे.वी.) महाराजगंज, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, DPMU आदि उपस्थित रहे।

बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-



(1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House				
	Drilling	Comp ressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25- 50%	50- 75%	75- 99%	100%	0-25 %	25- 50%	50-75%	75-99%	100%
JMC-LCESPL (JV)	6	1	1	5	10	5	4	3	2	6	11	14	4	2

Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (up to DPC)				
					0-25 %	25- 50%	50-75%	75-99%	100%
3.00	3700	12	2	21	8	11	13	7	4

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के सापेक्ष 6 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 1 परियोजना मा० उच्च न्यायालय एवं 5 मा०सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में DPMU द्वारा अवगत कराया गया कि माह-जनवरी 2026 में समस्त सम्बन्धित उपजिलाधिकारीगण से समन्वय स्थापित करते हुये मौके पर पहुँचकर विवादों के निस्तारण हेतु रोस्टर जारी करा दिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक्ट को-आर्डिनेटर (DPMU) को रोस्टर के अनुसार विवादों को निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्गत की गयी धनराशि को 5 कटेगरी में विभाजित किया गया है, जो निम्नवत है—

1. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व संचालन एवं अनुरक्षण की श्रेणी में है।
2. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में है।
3. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में जानी है।
4. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य है।
5. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 81 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य है।

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-2 के अन्तर्गत 341 योजनाओं के सापेक्ष कटेगरी-1 में 19 योजनायें, कटेगरी-2 में 37 योजनायें, कटेगरी-3 में 86 योजनायें, कटेगरी-4 में 29 योजनायें एवं कटेगरी-5 में 29 योजनायें हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त चयनित 200 योजनाओं का वर्क प्लान अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध कराते हुये योजनाओं को माह-जून 2026 तक पूर्ण कराते हुये कटेगरी-1 में ले जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अग्रिम बैटक में योजनाओं में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की संख्या को भी अंकित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशाली अभियन्ता (वि0/याँ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(2) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- कोया

अगली बैटक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House				
	Drilling	Comp ressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25- 50%	50- 75%	75- 99%	100%	0-25 %	25- 50%	50-75%	75-99%	100%
Rithwik-Koya (JV) :- Koya	-	-	1	13	5	5	4	3	3	4	3	2	3	4

Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (up to DPC)				
					0-25 %	25- 50%	50-75%	75-99%	100%
9.00	700	4	4	10	8	7	9	7	6

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 345 राजस्व ग्रामों के 205 परियोजनाओं के सापेक्ष 5 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 3 परियोजना मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन है तथा 2 परियोजना राजस्व विभाग/चकबंदी में होने के कारण लम्बित है। जिसके सन्दर्भ में DPMU द्वारा अवगत कराया गया कि माह-जनवरी 2026 में समस्त सम्बन्धित उपजिलाधिकारीगण से समन्वय स्थापित करते हुये मौके पर पहुँचकर विवादों के निस्तारण हेतु रोस्टर जारी करा दिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक को-आर्डिनेटर (DPMU) को रोस्टर के अनुसार विवादों को निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्गत की गयी धनराशि को 5 कटेगरी में विभाजित किया गया है, जो निम्नवत है—

1. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व संचालन एवं अनुरक्षण की श्रेणी में है।
2. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में है।
3. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में जानी है।
4. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य है।
5. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 81 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य है।

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-3 के अन्तर्गत 205 योजनाओं के सापेक्ष कटेगरी-1 में 4 योजनायें, कटेगरी-2 में 6 योजनायें, कटेगरी-3 में 27 योजनायें, कटेगरी-4 में 21 योजनायें एवं कटेगरी-5 में 21 योजनायें है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त चयनित 79 योजनाओं का वर्क प्लान अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध कराते हुये योजनाओं को माह-जून 2026 तक पूर्ण कराते हुये कटेगरी-1 में ले जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अग्रिम बैठक में योजनाओं में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की संख्या को भी अंकित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0)- कोया/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशाली अभियन्ता (वि0/याँ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग, महाराजगंज

(3) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- रिथविक

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House				
	Drilling	Comp ressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25- 50%	50- 75%	75- 99%	100%	0-25 %	25- 50%	50-75%	75-99%	100%
Rithwik-Koya (JV) :- Rithwik	-	-	-	5	2	4	5	6	4	5	5	11	12	16

Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (up to DPC)				
					0-25 %	25- 50%	50-75%	75-99%	100%
8.00	1000	3	2	24	8	2	2	2	1

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 302 राजस्व ग्रामों के 174 परियोजनाओं के सापेक्ष 2 परियोजनायें मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में DPMU द्वारा अवगत कराया गया कि माह-जनवरी 2026 में समस्त सम्बन्धित उपजिलाधिकारीगण से समन्वय स्थापित करते हुये मौके पर पहुँचकर विवादों के निस्तारण हेतु रोस्टर जारी करा दिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक को-आर्डिनेटर (DPMU) को रोस्टर के अनुसार विवादों को निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्गत की गयी धनराशि को 5 कटेगरी में विभाजित किया गया है, जो निम्नवत है—

1. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व संचालन एवं अनुरक्षण की श्रेणी में है।
2. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में है।
3. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में जानी है।
4. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य है।
5. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 81 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य है।

अधिकासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-3 के अन्तर्गत 174 योजनाओं के सापेक्ष कटेगरी-1 में 3 योजनायें, कटेगरी-2 में 19 योजनायें, कटेगरी-3 में 11 योजनायें, कटेगरी-4 में 38 योजनायें एवं कटेगरी-5 में 24 योजनायें हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त चयनित 95 योजनाओं का वर्क प्लान अधिकासी अभियन्ता को उपलब्ध कराते हुये योजनाओं को माह-जून 2026 तक पूर्ण कराते हुये कटेगरी-1 में ले जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अग्रिम बैठक में योजनाओं में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की संख्या को भी अंकित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) – रिथविक/अधिकासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिकासी अभियन्ता (वि0/याँ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिकासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(4) मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 TPIA:- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर (TPIA) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में पिछली बैठक से वर्तमान तक प्रस्तुत की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है-

S.No.	Name of Agency	Critical NC	Compliance	Pending
1	JMC Project	60	59	1
2	Ritwik	44	37	7
3	Koya	39	25	14
	Total -	143	121	22

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे राजस्व ग्राम जिनके रोड रेस्टोरेशन का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है की सूची बनाते हुये कराये गये कार्यों की विडियोग्राफी अग्रिम बैठक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही उक्त की कापी सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज/अधिकासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(5) मेसर्स आर0वी0एशोसिएट्स (जे0वी0) निप्पोन कोई DPMU:- अधोहस्ताक्षरी द्वारा डिस्ट्रिक क्वार्टिनेटर को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर साथ भूमि विवाद से सम्बन्धित समस्त प्रकरण को माह-फरवरी 2026 में अगली बैठक से पूर्व प्रत्येक दशा में निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसी योजनायें जो शतप्रतिशत पूर्ण हो गयी है व संचालन एवं अनुरक्षण की श्रेणी में है को चिन्हित करते हुये ग्रामों में स्थापित VWSC समिति की खुली बैठक जिसमें योजनाओं पर कराये गये समस्त कार्यों व उसकी गुणवत्ता का सम्पूर्ण विवरण हो को दिनांक 28.02.2026 से पूर्व कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:- डिस्ट्रिक क्वार्टिनेटर (DPMU)/अधिकासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पेयजल योजनाओं पर अवशेष विद्युत संयोजन कार्य विद्युत मीटर के साथ कराने हेतु सहायक अभियन्ता (वि०/यॉ०) जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर को विद्युत वितरण खण्ड से समन्वय स्थापित करते हुये कार्य समय से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड को निर्देशित किया गया कि अगली बैठक से पूर्व ऐसी योजनायें जिनमें सिविल कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं की सूची जल निगम से प्राप्त करते हुये विद्युत सम्बन्धी अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर विद्युत आपूर्ति बहाल कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:—अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/ अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल महाराजगंज

(संतोष कुमार शर्मा)
आई०ए०एस०
जिलाधिकारी
महाराजगंज।

कार्यालय जिलाधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक: / / दिनांक: / /

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज।
2. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
6. अधिशासी अभियन्ता (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में० जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), कोया—महाराजगंज।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), रिथविक—महाराजगंज।
10. मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, महाराजगंज।
11. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) महाराजगंज।

जिलाधिकारी
महाराजगंज।